

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 57/2015

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 29/2016

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री पूरणचन्द उर्फ पूरणमल उम्र 45वर्ष पुत्र बाबूलाल माली निवासी नदी दरवाजा तह0 छबड़ा
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)

2- श्री संजय नागर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 13.11.2020

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल पूरणचन्द उर्फ पूरणमल पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नदी दरवाजा, छबड़ा जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने-खिलाने एवं आम जनता के साथ मारपीट की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2001 से 2016 तक की अवधि में कुल 14 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. 12 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के तहत 12 एवं भादस 1 कुल 13 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण भादस का कोर्ट में पेंडिंग है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत दो बार इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लक्ष्य है। एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे दिनांक 01.10.2015 एवं दिनांक 10.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्गे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2001 से 2016 तक की अवधि में कुल 14 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. 12 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के तहत 12 एवं भादस 1 कुल 13 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण भादस का कोर्ट में पेंडिंग है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत दो बार कार्यवाही की जा चुकी है। इसकी दिनों-दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पत्ति का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केंसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना जैपला जिला बारां किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उक्त पुलिस थाना मेरे गाँव से नजदीक है। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल स्वयं की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन एवं विश्लेषण किया गया। गैरसायल द्वारा जर्ज्ये अभिभाषक प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2001 से 2016 तक की अवधि में कुल 14 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. 12 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये हैं। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 12 एवं भादस 1 कुल 13 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण भादस का कोर्ट में पेंडिंग है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत दो बार कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि पूरणचन्द उर्फ पूरणमल पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नदी दरवाजा, छबड़ा जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 12 एवं भादस के तहत 1 कुल 13 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल पूरणचन्द उर्फ पूरणमल पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नदी दरवाजा, छबड़ा जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र छबड़ा से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल पूरणचन्द उर्फ पूरणमल पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी नदी दरवाजा, छबड़ा जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना छबड़ा से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना जैपला जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 28.11.2020 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना जैपला जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र छबड़ा से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना जैपला जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों